रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 573] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 27, 2003/अग्रहायण 6, 1925
No. 573] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 27, 2003/AGRAHAYANA 6, 1925

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2003

सा.का.नि. 905(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कांडला पत्तन न्यास के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शित कांडला पोर्ट कर्मचारी (त्यौहार अग्रिम) संशोधन विनियम, 2003 का अनुमोदन करती है।

2. ये विनियम इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

कांडला पत्तन न्यास

अनुसूची

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 28 (1963 का 38) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कांडला पोर्ट का न्यासी मंडल, कांडला पोर्ट कर्मचारी (त्यौहार अग्रिम) विनियम, 1976 को आगे संशोधित करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

(1) इन विनियमों को कांडला पोर्ट कर्मचारी (त्यौहार अग्रिम) संशोधन विनियम, 2003 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तत्काल लागू होंगे।

(3) संशोधित किया गया विनियम 6(i) निम्नवत् पढ़ा जाये :—

किसी कर्मचारी को जो भी अग्रिम की राशि दी जाए वह बोर्ड द्वारा समय-समय पर नियत की जाएगी।

[फा. सं. पीआर-12016/18/2003 पी ई-1]

आर. के. जैन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी :

1. यह प्रमुख विनियम दिनांक 7-4-1977 के राज्य के राजपत्र के भाग 10 "सी" के पृष्ठ 402 पर प्रकाशित हुए हैं और—
2. तत्संबंधी पश्चात्वर्ती संशोधन भारत के राजपत्र में—(i) सा.का.नि. सं.165 दिनांक 10-1-1978 (ii) सा.का.नि. सं.1298(अ) दिनांक 19-12-1986 (iii) सा.का.नि. सं. 70(अ) दिनांक 7-2-1994 और (iv) सा.का.नि. सं. 763(अ) दिनांक 28-11-1995 द्वारा प्रकाशित हुए हैं।

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2003

G.S.R. 905(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124, read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Employees (Festival Advance) Amendment Regulations, 2003 made by the Board of Trustees of Kandla Port Trust as set out in the Schedule annexed to this Notification.

The said Regulations shall come into force from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

KANDLA PORT TRUST

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Kandla hereby makes the following Regulations further to amend the Kandla Port Employees (Festival Advance) Regulations, 1976, namely:—

1. These Regulations shall be called, the Kandla Port Employees (Festival Advance) Amendment Regulations, 2003.
2. They shall come into force with immediate effect from the date of publication in the Official Gazette.
3. Regulation 6(i) be amended to read as under :

   "The amount of advance which may be granted to an employee shall be fixed by the Board from time to time."

[F. No. PR-12016/18/2003-PE-1]

R. K. JAIN, Jt. Secy.

Foot Note

1. The Principal Regulations were published in the State Gazette in Part 10-C dated 7-4-1977 at page 402, and
2. The subsequent amendments thereto were published in the Gazette of India vide (i) G.S.R. No. 165 dated 10-1-1978, (ii) G.S.R. No. 1298(E) dated 19-12-1986 (iii) G.S.R. No. 70(E) dated 7-2-1994 and (iv) G.S.R. No. 763(E) dated 28-11-1995.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.